राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।
वाद संख्या–01/2014 से उद्भूत
पुनर्विचार वाद संख्या–42/2024
कामेश्वर प्रसाद गुप्ता बनाम् शान्ति देवी।

इस वाद की सुनवाई दिनांक–01.10.2024, दिनांक–14.11.2024 एवं दिनांक–05.12.2024, को हुई, जिसमें वादी अनुपस्थित रहे, जबकि प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जनेन्द्र कुमार एवं श्री रंजीत चौबे उपस्थित रहे।

वाद संख्या–01/2014 के प्रतिवादी श्रीमती शांति देवी द्वारा वाद संख्या–01/2014 में आयोग द्वारा दिये गये, आदेश ज्ञापांक–740, दिनांक–30.03.2015 के पुनर्विचार हेतु वाद–पत्र दायर किया गया। श्रीमती शांति देवी द्वारा यह दावा किया गया है कि उक्त आदेश ज्ञापांक–740, दिनांक–30.03.2015 द्वारा उन्हें भविष्य में पार्षद पद ग्रहण करने हेतु अयोग्य घोषित किया गया है, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों के अनुकूल नहीं है। अपने वाद–पत्र में उनके द्वारा यह दावा किया गया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(ठ) के अधीन अपनी शक्तियों के दुरूपयोग हेतु जीवन पर्यन्त चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता।

उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 15215/2009, Hira Lal Sah Vs. State Election Commission, Bihar & Ors. में पारित न्याय–निर्णय की प्रति संलग्न की गयी है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा Writ Case No. 32301/2019, में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा दिये गये निर्णय के संगत अंश को संदर्भित किया गया है, जो निम्नवत् है:–

"It is well recognized that every court/tribunal has an inherent power of procedural review and the same can not be denied to the petitioner merely for the reason that there is no provision to that effect in the Act/Statute."

उक्त के आलोक में उनके द्वारा आयोग के द्वारा दिये गये आदेश ज्ञापांक–740, दिनांक–30.03.2015 को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 के प्रावधानों की सीमा तक संशोधित करने का अनुरोध किया गया।

आयोग द्वारा वादी के अनुरोध पर विचार किया गया, तो पाया गया कि उनका अनुरोध आयोग के आदेश ज्ञापांक–740, दिनांक–30.03.2015 के आदेश खण्ड में संशोधन एवं पुनर्विचार से संबंधित है।

बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथा संशोधित) की धारा–18 में वर्णित प्रावधानों के तहत अयोग्यता/निरर्हता से संबंधित मामलों में आदेश पारित करने के उपरांत पारित आदेश में तथ्यात्मक परिवर्तन अथवा पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के संबंध में कोई प्रावधान अंकित नहीं है। स्पष्ट उल्लेखित प्रावधानों के अभाव में पूर्व के आदेश का पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण उचित प्रतीत नहीं होता। जहाँ तक वादी द्वारा उद्धृत न्याय–निर्णयों का संबंध है, तो उनकी परिधी संदर्भित वाद तक सीमित है। अतः इसे सामान्य नियम की तरह सभी वादों पर लागू नहीं किया

जा सकता। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Kalabharti Advertising Vrs. Hemant Vimalnath Narichania and Other's (Civil Appeal No. 7349-51/2010, decided on-06.09.2010) मामले में पारित न्याय–निर्णय के संगत अंश से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है, जो निम्नवत् है:–

"Review in absence of statutory provisions

12. It is settled legal proposition that unless the statue/rule so permit, the review application is not maintainable in case of judicial/quasi-judicial orders. In the absence of any provision in the Act granting an express power of review, it is manifest that a review could not be made and the order in review, if passed, is ultra vires, illegal and without jurisdiction. (Vide Patel Chunibhai Dajibha v. Narayanrao Khanderao Jambekar and Harbhagan Singh v. Karam Singh."

माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय–निर्णय से स्पष्ट है कि वैधानिक प्रावधानों के अभाव में आयोग अपने आदेश का पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन नहीं कर सकता। अतएव वादी का अनुरोध Maintainable एवं स्वीकार योग्य नहीं है। अतः उनके अनुरोध को अस्वीकृत किया जाता है, परन्तु वादी को उपलब्ध Legal Remedy के तहत आयोग के आदेश ज्ञापांक–740, दिनांक– 30.03.2015 को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती देने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
24.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
24.12.2024
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–42/2024 4482 पटना, दिनांक– 24/12/2024

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **पूर्वी चम्पारण** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

24/12/24
विशेष कार्य पदाधिकारी